

श्री उपसभापति : इस पर फैसला हो चुका है ।

श्री सत्यपाल मलिक : . . . स्टेट गवर्न-
मेंट के ऊपर जहां से जानकारी मिली है,
किसके ऊपर रेसपांसिबिलिटी, फिक्स
करेंगे, सदन को रोज-रोज गुमराह करने
के लिए । इस पर मैं आपकी व्यवस्था
चाहता हूं ।

श्री उपसभापति : जब कोई विशेष
प्रश्न उठाया जाएगा उस पर निर्णय चेयर-
मैन देते हैं । यदि आप रूल में कोई परि-
वर्तन लाना चाहते हैं तो आप रूल कमेटी
के पास सुझाव भेज सकते हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, . . .
(Interruptions) श्रीमन्, मैंने स्पेशल
मेशन . . . (Interruptions) स्पेशल मेशन
में . . . (Interruptions) हरिजनों का
सवाल उठा रहे हैं . . .

(Interruptions)

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**Reported huge financial Loss being
incurred by the Food Corporation
of India**

SHRI RAMANAND YADAV
(Bihar): Sir, I call the attention of
the Minister of Agriculture and Rural
Reconstruction to the reported huge
financial loss being incurred by the
Food Corporation of India every
year due to mismanagement, bad
storage, pilferage of foodgrains by the
employees, contract labour system
prevalent in the Corporation, closure
of many godowns, and frequent stri-
kes in the Corporation and the steps
taken by Government in this regard.

SHRI U. R. KRISHNAN (Tamil
Nadu): Sir, . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr.
Krishnan, please take your seat.

श्री उपसभापति : जितने माननीय सदस्य
हैं, सभी व्यवस्था के प्रश्न पैदा
करना चाहते हैं । कोई व्यवस्था का प्रश्न
नहीं है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) :
श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री उपसभापति : कोई व्यवस्था का
प्रश्न नहीं है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप मेरी
बात तो सुनिये । व्यवस्था का प्रश्न
है ।

श्री उपसभापति : मैंने मंत्री जी को
काल किया है, वह आने दीजिए । माननीय
मंत्री जी ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मुझे किसी
घटना के बारे में कहना है ।

श्री उपसभापति : बीस मिनट आपके
व्यवस्था के प्रश्न सुनते हो गए । यह
तरीका ठीक नहीं है । आप सदन की कार्य-
वाही किसी तरीके से नहीं चलने देंगे ।
हर बात में व्यवस्था पैदा करना चाहते
हैं ।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : चेयरमैन
ने यह मान लिया है । क्या हमारे जैसा
आदमी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा
सकता ।

श्री उपसभापति : बताइये, क्या है ?

श्री हुक्म देव नारायण यादव : संविधान
के तहत जिस समय संसद् सदस्य के रूप
में हमने शपथ ली, आपने शपथ दिलवाई
कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण बनाए

रखूंगा और इसकी रक्षा करूंगा तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। मैं जो कुछ भी यहां करता हूं अपने संचालनिक कर्तव्यों का निर्वाह करता हूं। . . . (Interruptions) अगर इस तरह की कार्यवाही मैं करूं और इसके चतुर्त बाहर अगर कोई निदेश हो कि इस तरह की कार्यवाही करने वालों पर सरकार बाहर निगरानी रखे तो क्या मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह यहां पर नहीं कर सकता हूं ? अगर इस तरह से सर्कुलर के जरिए बाहर इस तरह की धमकी हमें मिलेगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है या नहीं, हमारे कांस्टीट्यूशनल राइट्स को क्लेश किया जा रहा है या नहीं ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपसभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न सदन के सामने नहीं है। माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (RAO BIRENDRA SINGH): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Food Corporation of India functions as the agent of the Government of India in the matter of handling of foodgrains, fertilisers and levy sugar. The operations performed by the Corporation are on cost basis and the question of incurring any financial loss in these operations does not, therefore, arise. On the small commercial operations undertaken by it, the Corporation makes a marginal profit.

The procurement prices as well as the issue prices for foodgrains, fertilisers and levy sugar are fixed by the Government of India. In regard to foodgrains, the Government, as a matter of social policy, have been subsidising the prices of the grains issued from the Central pool for public distribution system. The issue prices of foodgrains are much lower than the total costs and thus are subsidised from public exchequer. This

subsidy to the consumer is channelised through the Food Corporation of India.

Over the years F.C.I. has been called upon to handle ever increasing quantities of foodgrains involving handling operations of very large magnitude. In 1970-71, the total quantities handled by F.C.I. both from internal procurement as well as imports came to 15.9 million tonnes. In 1976-77, this quantity increased to the level of 21.3 million tonnes. In 1978-79, the F.C.I. handled a record quantity of 22.8 million tonnes of foodgrains. I would particularly like to mention the good work done by F.C.I. in rushing food supplies to the drought affected States during 1979. Hon. Members are aware that it was a year of unprecedented drought when a very large part of our country was affected by drought conditions. Food Corporation of India supplied a total quantity of 17.5 million tonnes of foodgrains both for public distribution system and Food-for-Work Programme during January, 1979 to June, 1980. This figure represents a performance rendered possible by a record movement of goodgrains from the northern region to the rest of the States.

It should be obvious that when such large quantities of foodgrains, which in their nature are subject to damage and decay, are handled involving their movement throughout the country, some damage and loss is bound to occur. During the procurement season enormous quantities have to be purchased, bagged and transported from the *mandis* within a short period of 2-3 months. Some times the damage is caused to the foodgrains by factors beyond human control such as excessive rain, cyclone and such other natural factors. Damage some times is also caused while the stocks are in transit by factors for which the Corporation cannot be held responsible. All cases of damage and loss are properly investigated and steps are taken by the F.C.I. to keep

[Rao Birendra Singh]

these losses as low as possible. It has also to be remembered that there is bound to be some loss on account of shrinkage, due to difference in the moisture in the grain at the time of procurement and at the time of issue. The loss on account of transit and storage including shrinkage during the last three years as percentage of purchases and sales has been as follows:

1977-78	..	1.2 per cent.
1978-79	..	1.3 per cent.
1979-80	..	1.3 per cent.

It would be appreciated by the Hon. Members that these losses have been within reasonable limits.

The Food Corporation of India is a very huge public sector undertaking with over 70,000 employees of all description. Different types of functions are performed by different categories of employees and labour problems have been handled in accordance with the labour laws. Management of the Corporation has always welcome discussion with the unions of the Corporation employees for settling the disputes.

The Corporation has a total number of 2,135 depots out of which labour has been departmentalised in 42 depots, while in 47, it has been brought under the direct payment system. According to studies conducted by the F.C.I. the experience of the Corporation with the departmentalised labour has not been very happy and because of low productivity, high costs and disproportionately high idle labour, the Corporation has not extended the departmentalisation of labour to other godowns.

There have been no strikes by the officers of the Corporation. The employees of the Corporation have also not gone on strikes frequently; they have, however, resorted to work-to-rule agitation occasionally for ventilating their grievances. These were

promptly settled through mutual discussions between the management and the representatives of the All India Unions of the Corporation's employees as a result of which normalcy was restored.

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं, बड़े ही सुन्दर ढंग से चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है। लेकिन बात ऐसी नहीं है और ऐसा मालूम नहीं होता है। उसके रिकार्ड को देखा जाये तो यह लगता है कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में इतनी गड़बड़ी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना गोल माल है और इतने लास में रन कर रहा है कि जिसकी इन्तिहा नहीं है। इसी बात से यह देखा जा सकता है कि करीबन 6 सौ करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार को इस कारपोरेशन को सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है और सब्सिडी में देने का मतलब केवल अन्न के भाव को कम करके जनता में वितरित करना ही नहीं बल्कि उसका भार और मदों में भी जाता है। उपसभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इसमें दो हजार से अधिक डिपो हैं। इसमें करीबन 70 हजार इम्प्लॉईज हैं जिनमें 25 हजार मजदूर हैं जिनका काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग, तौलना, गोदामों से निकालना, माल बाहर ट्रकों पर चढ़ाना, स्टेशन से रेल से उतारना, लाना, ट्रक पर लादना आदि। उपसभापति महोदय, पिछली जो सरकार थी, जनता सरकार के भी पहले और जनता सरकार के बाद में भी जो 25 हजार मजदूर कान्ट्रिक्ट लेबर के माध्यम से काम करते थे उसमें से 10 हजार को परमानेंट बना दिया गया, यह सोचकर कि इनके परमानेंट बन जाने से अच्छा काम होगा और सन्तोषप्रद होगा। रिपोर्ट को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सन्तोषप्रद है।

लेकिन मंत्री जो कह रहे हैं कि उनका काम सन्तोषप्रद नहीं है। तीन हजार मजदूर डिपार्टमेंटल बनाये गये हैं। डिपार्टमेंटल मजदूर जो काम करते हैं और लेबर कन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो 10 हजार मजदूर काम करते हैं, अगर उसको आप देखेंगे दोनों की तुलना करेंगे, मैं मंत्री जी से चाँहूंगा कि आप गवर्नमेंट से या आपका विभाग जो एफ० सी० आई० को डील करता है उससे सारी रिपोर्टें मंगा लीजिए। और रिपोर्टें मंगवा करके आप निर्णय कीजिए, देखिए कि कैसे काम होता है। जो डिपार्टमेंटल मजदूर होता है, उसके काम के नाम्स होते हैं, तरीके होते हैं। अगर वह सौ बोरी ढोने का है, तो सौ बोरी जिसे फाजिल ढोयेगा तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन कन्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से जो मजदूर काम करता है, उसमें अधिक घाटा है, उसके साथ नाम्स नहीं हैं। कन्ट्रैक्ट लेबर पर काम करने वाले जो बारह हजार मजदूर हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, कि यह कन्ट्रैक्टर्स रुपया लेकर के भाग जाते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेवारी पेमेंट करने की रहती है, एफ० सी० आई० की नहीं रहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि जो प्रिन्सिपल एम्प्लायर है, फूड कारपोरेशन, उसकी जिम्मेवारी होती है कि पेमेंट जो कन्ट्रैक्ट लेबर को कंट्रैक्टर के माध्यम से होती है, उसकी अगर पेमेंट नहीं होती है, तो उसकी जिम्मेवारी फूड कारपोरेशन पर है। लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। फूड कारपोरेशन में जो कंट्रैक्टर हैं, जो लेबर को एम्प्लॉई करता है, दस को करेगा और पचास का बिल बनाएगा, छत्ती लगाएगा कन्ट्रैक्टर लेबर के माध्यम से, कहेगा कि ऐक्स्ट्रा काम कर लिया और गोदाम के मालिक से सर्टिफिकेट लेकर के फाजिल बिल बना लेता है और इस तरह से कन्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से

बहुत बड़ा शोषण और नुकसान फूड कारपोरेशन आफ इंडिया को है।

श्रीमन्, हम लोगों की यह मांग है कि एम्प्लॉईज, मजदूर खास करके उनको एन्टायर्ली आप डिपार्टमेंटल कर दीजिए। आप आबजर्व कीजिए क्योंकि यह पर्मानेंट वर्क है, कोई सीजनल नहीं है, साल भर अनाज आता-जाता रहता है। देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी प्रांत में अगर कहीं अकाल पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है, तो इन मजदूरों को अनाज निकालने, किसी सीजन में उतारना, कभी ट्रक पर लाद कर बाहर ले जाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से जो कन्ट्रैक्ट सिस्टम आफ लेबर है, उसको हटा देने की व्यवस्था होनी चाहिये और पर्मानेंट वर्क हो। कन्ट्रैक्ट वर्कर और डिपार्टमेंटल वर्कर में किसी तरह का भी भेद नहीं होना चाहिए।

श्रीमन्, मैं आपके जरिए सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि मिसमैनेजमेंट किस तरह से फूड कारपोरेशन में है। स्टॉक-पाईलिंग के लिए व्यवस्था है। आज आप चले जाइए—फूड कारपोरेशन का गोदाम जहां बाहर है वहां वर्षा से काफी अनाज बरबाद हो रहा, सड़ रहा है। कोई केयर करने वाला नहीं है। कोई फूड कारपोरेशन का अपना काडर नहीं है। आई० ए० एस० अफसर बाहर से जाते हैं और उसको रूल करते हैं, टैम्पोरेरी अफसर बाहर से आए और लूट-पाट करके चले जाते हैं। इसलिए उसको बहुत नुकसान है। वहां पर कोई रूल्स रेग्युलेशन्स नाम्स नहीं हैं, कोई सर्विस कंडिशनस नहीं हैं और किसी तरह का एक्ट उस पर लागू नहीं है। यहां तक कि हरियाणा और पंजाब का जो फूड कारपोरेशन आफ इंडिया

[श्री रामानन्द यादव]

की बांच है, वह रजिस्टर्ड तक नहीं है और हाईक्रेट लेबर रेग्यूलेशन एंड अवालिशन एक्ट के सिस्टम के तौर पर कन्ट्रक्टर को जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिये, वह भी नहीं है। तो सरकारी प्रतिष्ठान भी रजिस्टर्ड नहीं है और कन्ट्रक्टर लाइसेंस नहीं होता है ; (Time bell rings) और बिना लाइसेंस लेकर बेलगाम से वह काम करता रहता है जिससे कोई जिम्मेदारी उसके सिर पर नहीं रहती है।

अब मैं आपके सामने पिलफ्रेज के एक-दो उदाहरण देना चाहता हूँ। गया में एक गोदाम है, वह शहर के पास में गोदाम है। उस गोदाम में करीबन 80 लाख रुपए का गेहूँ पड़ा हुआ था उसमें आग लगा करके जला दिया। इसलिए जला दिया गया कि अधिकांश गेहूँ बेच दिया गया था। वहाँ के पुलिस सुपरिंटेंडेंट इन्क्वायरी के लिए गए। इन्क्वायरी करके उस आदमी ने पता लगाया और अपनी रिपोर्ट दी कि पटरी उस गोदाम में रखा गया था आग लगाने के लिए और गोदाम का जो इन्चार्ज था, आग लगने के बाद भाग गया और पलदार जो वहाँ थे वे उसको बुझाये नहीं। 5 दिन तक आग जलती रही और वह एकदम जल कर खाक हो गया। गया के पुलिस अतीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि उसके मुलाजिमों का हाथ है।

उपसभापति जी, अमृतसर के पास करीबन 1977 से 30,000 टन गेहूँ सड़ रहा है और आज तक उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। हाल में आंध्र प्रदेश में 200 क्विंटल धान 6 ह० क्विंटल पर बेच दिया गया जब कि गनी बैग का ही दाम 7 ह० प्रति गनी बैग है। आप

सोचिए कि 200 क्विंटल धान आंध्र प्रदेश के मंचोरियल गोदाम से बेच दिया गया यह कह कर कि वह सड़ गया है। वह 6 ह० क्विंटल बेच दिया गया जब कि एक गनी बैग का दाम अकेले 7 ह० होता है। उस सदन में भी यह प्र न उठा और यहाँ भी उठा. . . (Time bell rings)

श्री उपसभापति : समाप्त करिए।

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति महोदय, रांची के दैनिक अखबार में निकला कि पंजाब से गेहूँ चला खाली, ओपन वैन में . . .

श्री उपसभापति : बहुत से उदाहरण होंगे . . .

श्री रामानन्द यादव : और उपसभापति, जी, वहाँ जाते जाते वह गेहूँ गायब हो गया। तो यह तो यहाँ अवस्था है . . .

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Is it only for the ruling party Members? (Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First Member is given more time; others are given less time.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Never more than five minutes or seven minutes. (Interruptions). It is more than seven or eight minutes. Please see the watch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am controlling him. I am ringing the bell every time.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: You allow us also. (Interruptions).

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, 44 करोड़ ह० की चोनी इस फूड कारपोरेशन के गोदाम से गायब हो गई।

बिलासपुर में एक कांड हुआ हुआ । बिलासपुर से कोई ए. बंगनी केन्द्र है जहां गहूं जा रहा था . . .

श्री उपसभापति : अब उसके ब्यौरे में नहीं जाइए ।

श्री रामानन्द यादव : वह बीच में नहीं पहुंचा । ट्रक पर गया । वहां ट्रक पहुंचता नहीं था । उस गोदाम में दर्ज हो गया, वितरण भी हो गया । अब बिलासपुर का इंस्पेक्टर वहां पहुंचा तो देखा कि गोदाम में दर्ज हो गया है और उसका वितरण भी हो गया है । तो यह भी वितरण आठ दिन अग्रे में पड़ जा जाएगा । फूड कारपोरेशन के अनाज की कोई कीमत नहीं । उसका कोई मां बाप हा नहीं ।

श्री उपसभापति : अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ।

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, बहुत से डिपो बन्द हो गए हैं ।

श्री उपसभापति : वह आपने कह दिया ।

श्री रामानन्द यादव : उन्होंने कहा, कोई झगड़ा नहीं है । जम्मू और कश्मीर के 3 डिपो आज बन्द हैं, वहां पर लोग गोलियों से मारे गये हैं । हरियाणा में डिपो बन्द है, दिल्ली के पास डिपो बन्द है, उत्तर प्रदेश में डिपो बन्द है, और गवर्नमेंट अपने डिपो को बन्द करा के ठेके पर, बड़े-बड़े पूजोपति जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स से पैसा लेकर गोदाम बनाते हैं उनसे ले रही है । कहां की बात है ? गवर्नमेंट को पालिसी होना चाहिये ठीक से इंतजाम करने की लेकिन फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक से इंतजाम नहीं कर पा रहा है और यह भ्रष्टाचार का अड़डा बना हुआ है, इसका प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं हो रहा है ।

इसकी जिम्मेदारी है सारे देश को भोजन वितरित करके खिलाना । मैं इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूं । मेरा प्रश्न है कि . . .

श्री उपसभापति : इतना समय लीजिएगा तो कैसे होगा ।

श्री रामानन्द यादव : प्रश्न तो पूछने दीजिए ।

श्री उपसभापति : आपने 12 मिनट का समय ले लिया । इसी तरह और मेम्बर लेंगे तो कैसे होगा ।

श्री रामानन्द यादव : इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपने लोगों को काफी समय दिया है ।

कान्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970-71 जो पास हुआ क्या भारतीय खाद्य निगम इस एक्ट को मानता है ? दूसरा, भारतीय खाद्य निगम में जो 50 हजार समान मजदूर काम करते हैं उनमें विभेद नहीं होना चाहिये ।

श्री उपसभापति : वह आप कह चुके ।

श्री रामानन्द यादव : क्या कान्ट्रेक्ट सिस्टम को फूड कारपोरेशन आफ इंडिया खत्म कर देना चाहता है ? तीसरा, क्या केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली को खत्म करने की सिफारिश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को की थी ?

श्री उपसभापति : अब समाप्त करिए ।

श्री रामानन्द यादव : क्या सरकार बतायेगी कि गोदाम से अन्न की चोरी करके ब्लैक में बेचने के अभी तक कितने मुकदमें भारत के विभिन्न प्रान्तों के कोर्टों में मुलाजिमों के खिलाफ दायर हैं, कितने में सफलता मिली है और उनमें कितना खाद्यान्न इनवाल्ड करता है ?

[श्री रामानन्द यादव]

क्या सरकार खाद्य निगम में जो आज़ भ्रष्टाचार फैला हुआ है . . .

श्री उपसभापति : यह आप कितनी बार कह चुके हैं ?

श्री रामानन्द यादव : क्या भारत सरकार खाद्य निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि उसकी इन्कवायरी करने के लिए एक हाई-पावर इन्कवायरी कमीशन बनाने की व्यवस्था करेगी जो खाद्य निगम की वर्किंग की ठीक से जांच करे और उसको किस तरह से मुनाफे वाला यूनिट बनाया जाय इस पर अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री उपसभापति : कृपया समाप्त करिए बहुत हो गया ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman . . .

श्री रामानन्द यादव: पुरबी जी, बैठिए । मैं आपसे अधिक बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल पायेंगी । मैं इन्टरफीयर नहीं करता हूँ ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman . . .

SHRI RAMANAND YADAV: What Deputy Chairman? You are interrupting me.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Will you allow it? He is threatening me.

SHRI RAMANAND YADAV: You have interrupted me. It is your habit to interrupt others.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Chairman has given a ruling about time. If you allow him more time, we are also entitled to it. For us you say that the speech would not be recorded. What about him? That is why you are partial. There should be one standard for everybody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Unless you cooperate, what can I do? I am not able to do anything without your cooperation.

श्री रामानन्द यादव : बैठो, बैठो, जानते हैं तुमको ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: For us you always say that the speech would not be recorded and there is no time limit for them.

श्री रामानन्द यादव : सदन का समय आप ही बर्बाद करती है ।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिए ।

श्री रामानन्द यादव : एफ० सी० आई० में जो बाहर से डेप्यूटेशन कर लोग आये हैं क्या सरकार उन्हें भेज कर डिपार्टमेंट के लोगों में से प्रमोशन दे कर जिम्मेदारी की जगहों पर उन्हें रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उपसभापति : 18 मिनट आप ले चुके हैं, बैठिए ।

श्री रामानन्द यादव : क्या सरकार इसका सेल्फ-कांडर बनाने की व्यवस्था करेगी और डेप्यूटेशन पर आये लोगों को हटाने की कोशिश करेगी ।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, जवाब दीजिए ।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Ramanand Yadav, why do you embarrass the Deputy Chairman when he is occupying the Chair?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody is trying to embarrass me.

SHRI RAMANAND YADAV: Mrs. Purabi Mukhopadhyay was taking my time.

श्री उपसभापति : जवाब देने दीजिए । सभी लोग कमेंट मत करिए ।

श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय : आपने उनका रिकार्ड किया है हमारे लिए रिकार्ड को मना करते हैं ।

श्री उपसभापति : आप भी ऐसी बात कहेंगी तो रिकार्ड होगी । ठीक बात नहीं कहेंगी तो रिकार्ड नहीं होगा । (Interruptions). हर वक्त ताना मारती हैं हर बार ताना मारती रहेंगी तो ठीक नहीं है । I know what is your view. You do whatever you like. I don't mind that thing. You have a right.

कृषि मंत्री जी

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जहां तक एफ०सी० आई० का जबर्दस्त आपरेशन है उसके हिसाब से अगर एफ० सी० आई० के बारे में एक-दो सवाल भी किये जायें तो उनका जवाब भी बहुत ही लम्बा-चौड़ा हो सकता है । जो आपने कालिंग अटेंशन एडमिट किया है उसका इतना बड़ा ग्राउंड हो सकता है, इतना स्कोप हो सकता है कि शायद कई दिन तक इस पर बहस चलती रहे । उसमें पिलफरेज, लोसिस, लेबर के सवाल, सबसिडी, स्टोरेज और दूसरे इशू भी आ सकते हैं । लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आनरेबल मेम्बर ने उठाया जहां तक हो सकता है मैं मुक्तलिफ तौर पर उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा ।

यह कहना गलत है कि 6 सौ करोड़ रुपया एफ० सी० आई० को उसकी ना-अहिलयत की वजह से देना पड़ता है कि फूड कारपोरेशन के सस्ते अनाज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सबसिडी के ऊपर । एफ० सी० आई० की असल एडमिनिस्ट्रेटिव

कोस्ट देखी जाए तो वह बहुत कम है । मैं हिसाब बता सकता हूं कि जितना पैसा सबसिडी का दिया जाता है चावल, गेहूं के ऊपर उस से साढ़े तेरह रुपए के करीब एक क्विंटल के ऊपर आब्लीगेटरी चार्ज है इस मंडी का चार्ज है, बोरियों की कीमत है । सेल्स टैक्स देना पड़ता है । इसके साथ ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ता है । स्टोरेज का खर्चा और इंटरेस्ट देना पड़ता है । लेबर भी है, फारवर्ड करने का चार्ज भी है । कहीं एफ० सी० आई० के अन्दर गोदामों के मूवमेंट का चार्ज है, एस्टाबलिशमेंट चार्ज है, बैंक कमीशन है । यह सब मिला कर 13 रुपए 34 पैसे एक क्विंटल पर खर्च आता है । मंडी वगैरह का आबलिगेटरी चार्ज है और बाकी चार्ज 6 रुपए के करीब आ जाता है । उसके बाद 19 रुपए 85 पैसे एक क्विंटल के ऊपर खर्च करना पड़ता है एफ० सी० आई० को । जो अनाज प्रोक्योर करते हैं उसको इशू करने से पहले उसमें ट्रांसिट फ्रेट, हैंडलिंग, गोदाम के स्टोरेज का खर्च और इंटरेस्ट देना पड़ता है । वह रुपया भी 18 रुपए के करीब एक क्विंटल पर पड़ता है । जैसा मैंने बताया एफ० सी० आई० का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हैड चार्ज एक रुपया 63 पैसे एक क्विंटल पर आता है । यह समझना गलत होगा कि एफ० सी० आई० को नुकसान इसलिए उठाना पड़ता है कि एफ० सी० आई० की बकिंग ठीक नहीं है ।

जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि डिपार्टमेंट वर्कर्स 10 हजार के करीब है । बहुत से हमारे गोदाम ऐसे हैं जहां कांटेक्ट लेबर से काम होता है और बहुत से डायरेक्ट पेमेंट के गोडाउन हैं । इनका भी मैंने ब्योरा दे दिया । अभी आनरेबल मेम्बर श्री रामानन्द यादव ने कहा कि जहां डिपार्टमेंट लेबर है वहां काम अच्छा होता है और खर्चा कम

[राव बीरेन्द्र सिंह]

पड़ता है। यह बात उनकी बिल्कुल सही नहीं है। इस बारे में स्टेटमेंट में कहा गया है। उसके हिसाब से पता लगता है कि डिपार्टमेंट लेबर का हैंडलिंग करने पर एक टन पर 9 रुपये 78 पैसे खर्च होता है वहां कांट्रेक्ट लेबर का 6 रुपये खर्च होता है। अगर डिपार्टमेंट लेबर सुस्ती से काम करता है, कई दफा वह वर्क टु रूल पर भी आता है और दूसरे जगड़े भी शुरू हो जाते हैं तब तक एक टन के ऊपर डिपार्टमेंट लेबर का हैंडलिंग करने का 15 रुपये से ऊपर खर्च पड़ता है। यह ढाई गुणा के करीब है कांट्रेक्ट लेबर के मुकाबले में। यह साफ जाहिर है कि कांट्रेक्ट लेबर बहुत सस्ता पड़ता है। इसीलिए एफ० सी० आई० ज्यादातर कांट्रेक्ट लेबर के जरिये काम कराता है। श्री रामानन्द यादव ने कहा कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कांट्रेक्ट लेबर रखे जाते हैं। उन्होंने पूछा कि कांट्रेक्ट रजिस्टर रखा है या नहीं ?

श्री रामानन्द यादव : मैंने बिना लाइसेंस की बात पूछी है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात है। जैसा इन्होंने बताया कि कांट्रेक्ट लेबर अबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है। उसमें कोई बंदिश भी नहीं है कि कांट्रेक्ट लेबर नहीं रखा जाएगा। इसको रेगुलेट किया जाता है कि कांट्रेक्ट लेबर किस तरीके से रखे जाएंगे, क्या-क्या उनको सुविधाएं दी जाएंगी। यह सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटीज बनाती है। किसी महकमे में कांट्रेक्ट लेबर किस प्रकार से रखे जाएंगे, इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम हैं, एक्ट हैं। जितने भी कांट्रेक्ट लेबर रखे जाते हैं उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स लेबर लाज को लागू करती होगी। स्टेटों में कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन और एबोल्यूशन एक्ट बने हुए हैं।

सरकार उसका भी इस्तेमाल करती है। अगर कहीं कोई केस हमारी नोटिस में आए कि कांट्रेक्ट लेबर बिना लाइसेंस के रख दिया गया है तो हम उसकी जांच-पड़ताल करने के लिए तैयार हैं।

आनरेबल मेम्बर ने बताया कि चोरियां बहुत होती हैं और बहुत नुकसान होता है। टोटल लौस जितना पिलफ्रेज में और ट्रांजिशन में होता है उसका जो अन्दाजा मुझे बताया गया है वह 1.3 परसेन्ट का है। जितना अनाज एफ० सी० आई० हैंडल करता है उसका 1.3 फीसदी टोटल लौस पड़ना है। यह लौस बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है। जितना भारी इस विभाग का कारोबार है उसके मुताबिक एक फीसदी या सवा फीसदी डेमेज ज्यादा नहीं है। ट्रांजिशन में जो लौस होता है और जो चोरी हो जाती है वह भी इसमें आ जाता है। मैं नहीं यह कहता कि चोरी नहीं होती है। इतना बड़ा जहां कारोबार हो वहां कुछ न कुछ तो धांधलियां होती ही हैं। लेकिन जब वे नोटिस में आती हैं तो हम अफसरों को भेजते हैं और उन बातों की इन्क्वायरी की जाती है और एक्शन भी लिया जाता है। इस बात को मैं नहीं कहता कि सब काम कायदे-कानून के मुताबिक चल रहा है। अगर मैं यह बताऊं कि इतने मामलों में स्टेटों में मुकद्दमे चल रहे हैं तो फिर यह पूछा जाएगा कि कितनों को सजाएं मिली हैं। और कितने मामले अभी पेंडिंग हैं। जहां कहीं भी इस तरह के वाक्यात होते हैं तो उनकी इन्क्वायरी होती है और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है क्योंकि अगर सेफ्टी न की जाय तो एफ० सी० आई० का इतना बड़ा काम है, यह सब ठप्प हो जाएगा।

अमृतसर और गया के गोदामों का भी जिक्र किया गया है। गया में एयर फील्ड के पास जो गोदाम है उसमें आग लग गई थी। मेरे नोटिस में यह बात आई

और अखबारों में भी इस बारे में रिपोर्ट आई थी। उसकी इन्क्वायरी हो रही है और रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई है। अगर उसमें किसी आदमी की शराब निकली तो उसको अवश्य सजा दिलाई जाएगी। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक्यात न हों, इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। अमृतसर के पास कुछ गेहूँ के खर्ब होने की रिपोर्ट हमारे पास आई थी और प्रेस में भी यह बात छपी थी। हमने इसकी रिपोर्ट मंगाई और पूरी देखरेख करने के लिए अफसरों को भेजा। हमें यह मालूम हुआ कि वहाँ पर कुछ अनाज पहले से ही पड़ा हुआ था और वह ओपन में था। जब गेहूँ का प्रोक्योरमेंट हुआ तो जगह न होने की वजह से इस गेहूँ को एक झील के पास खाली जगह में रखना पड़ा। उस अनाज को पहले ही काफी क्लीयर कर दिया गया था। इस बारे में जो रिपोर्ट प्रेस में आई थी वह गलत बात थी, काफी एक्जैजरेटड रिपोर्ट थी। उसकी हम जांच-पड़ताल करा चुके हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ पर अनाज बंद पड़ा था। एफ० सी० आई० अनाज को बंद नहीं करता है। अगर कहीं लेबर के साथ कोई झगड़ा हो तो काम जरूर रुक जाता है और वह भी कुछ अर्से के लिए ही रुकता है। लेकिन आजकल सिर्फ वेस्ट बंगाल में तीन गोदामों में काम नहीं चल रहा है। वहाँ पर लेबर के कुछ डिसप्यूट्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी लेबर के साथ कोई सेटलमेंट हो और एफ० सी० आई० के अफसरान इस काम को अच्छी तरह से निपटा लें। जैसा मैंने कहा है, लेबर यूनियन के साथ बकायदा बातचीत की जाती है। जहाँ पर 70 हजार वर्कर्स हैं वहाँ कोई न कोई डिसप्यूट तो चलते ही रहते हैं। एफ० सी० आई० अपने काम को बकायदा कर रहा है। सूखे के मौके पर, ड्राउट के मौके पर शुगर पट्टुचाने का काम और दूसरे अनाज को पट्टुचाने का काम उसने बकायदा किया है। दूर-दराज के इलाकों

में, नार्थ-ईस्टर्न एरियाज के अन्दर वक्त पर अनाज पट्टुचाया है। इसलिए वही से कोई इत्तिला नहीं आई है कि अनाज की वमी की वजह से वही कोई मौत हुई हो और कोई नई मुसीबत पैदा हुई हो। वह चीज नहीं पैदा हुई इस देश के अन्दर। इसकी वजह से यह कहना पड़ेगा कि एफ० सी० आई० ने अपने काम को अच्छी तरह से निभाया है।

एफ० सी० आई० के काम की इन्क्वायरी के लिये गवर्नमेंट ने क्या कोई कमेटी मुकर्रर की है, यह माननीय सदस्य ने पूछा है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आप तो जानते हैं कि पालियामेंट की पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी है और एफ० सी० आई० भी ऐसी पब्लिक अन्डरटेकिंग है जिसके काम की जांच-पड़ताल पालियामेंट करा सकती है। 1970-71 के अन्दर पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी ने एफ० सी० आई० की जांच की। उसके बाद 1976-77 के अन्दर फिर इन सब बातों की जांच पालियामेंट की कमेटी ने की। 1979 में भी सारा मर्टीरियल तैयार करके पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी के पास भेज दिया गया था लेकिन उस सरकार का जो झमेला बढ़ता रहा उससे वह पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी काम नहीं कर सकी। अगर और जांच की जरूरत हो तो पालियामेंट की कमेटी होती है इस काम के लिये। हमें बड़ी खुशी है अगर पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी पूरी तरह जांच करे कि एफ० सी० आई० के अन्दर क्या क्या कमियाँ हैं, उनका सारा हिसाब देखें तब कि वह हाउस के सामने पेश हो सके।

श्री रामानन्द यादव : इसके लिये अलग कमेटी बनाइये, हाई कमेटी बनाइये :

श्री बीरब्र सिंह : गवर्नमेंट ने कई बार कमेटियाँ बनाई हैं। एफ० सी०

[राव बीरेन्द्र सिंह]

आई के मुखतलिफ शोर्बों के काम की देखभाल के लिये अभी तक 11 बार गवर्नमेन्ट ने कमेटीयाँ एफ० सी० आई० के कार्यों की जांच-पड़ताल के लिये बनाई हैं। इस तरफ सरकार का पूरा पूरा ध्यान है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

एक सवाल माननीय सदस्य ने किया कि एफ० सी० आई० का अपना कैंडर होना चाहिए, डेपुटेशनिस्ट इसमें नहीं लेने चाहिए, आफिसरों के अन्दर। यह उनकी अपनी ओपीनियन की बात है। इसमें मेरी राय मुखतलिफ है। अगर एफ० सी० आई० में डिपार्टमेन्टल आफिसर सब जगह, ऊपर से नीचे तक रखे जायें तो मेरे ख्याल से उनके अन्दर बिरादरी-वाद आ जाता है। शायद, अगर कोई खराब है तो उसको पकड़कर सजा भी न देना चाहें, वह अपने महकमे की बदनामी को दबाने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसी बात हो। लेकिन उसमें अगर दूसरे महकमे के एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, सीनियर आफिसर रखे जायें तो इससे एक तो सरकार को यह आसानी होती है कि उनका जब चाहे तबादला किया जा सकता है। लेकिन अगर डिपार्टमेन्टल आफिसर हर जगह रखे जायेंगे तो वे एफ० सी० आई० के बाहर कहीं जाने से रहे, हमेशा वहीं पर लगे रहेंगे। तो मैं यह समझता हूँ कि यह तरीका जो अब चल रहा है यह उससे बहुत बेहतर है। सारा काम डिपार्टमेन्टल आफिसरों को सौंप दिया जाय इसमें सरकार को दिक्कत पड़ सकती है सही जानकारी हासिल करने के लिये। इसलिये इस मामले में कोई विश्वास दिलाने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, अभी एचि मंत्री जी ने जो

बयान दिया उससे ऐसा लगा जैसे कि फूड कारपोरेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है और इस पर कोई घाटा नहीं है। घाटे के लिये मंत्री जी ने कहा कि उसको सब्सडाइज्ड किया जाता है और वह फूड कारपोरेशन का घाटा नहीं हुआ। लेकिन हकीकत जो है, वास्तविकता जो है वह बिल्कुल दूसरी है। फूड कारपोरेशन में इतना घपला है, इतना घाटा है कि उसका अंदाजा लगाना कठिन है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। लेकिन दो-तीन सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

हमारे यहाँ जो फूड कारपोरेशन है इसके हैंडलिंग चार्जेंज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं ऐसा क्यों है? क्या मंत्री जी कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं, उनके दिमाग में कोई ऐसी तजबीज है जिससे इन हैंडलिंग चार्जेंज को कम किया जा सके। जैसे गेहूँ को ले लें। गेहूँ 115 रुपये में लिया जाता है, किसान से। उसके बाद इस समय यह 138-140 रुपये में कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : 130 रुपये।

1 P.M.

श्री नरेन्द्र सिंह : 130 नहीं 138 रुपये। खैर जो हम लोगों की जानकारी है वह यह है कि 138 रुपये में दिया जा रहा है। जो हैंडलिंग चार्जेंज हैं वह सब से ज्यादा हैं। इसको कम करने के लिए आप क्या उपाय सोच रहे हैं?

दूसरा यह है कि इसमें जो भ्रष्टाचार है उसमें गोदाम के गोदाम बिल्कुल खाली रह जाते हैं और उसमें जो स्टोर किया जाता है वह भी गायब हो जाता है। इसको रोकने के लिए भी कुछ प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। तो क्या सरकार कुछ प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और करप्शन को कम किया जा सके।

एक और बात यह है कि जो हमारी फूड कारपोरेशन है इसका कौन सा गोदाम कब बन्द कर दिया जाएगा यह भी तय नहीं रहता। इस पर भी एक प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग भी इस तरह की हो। गेहूं पंजाब का है; उसको स्टोर कर दिया आपने तामिल नाडु में या किसी और ऐसे एरिया में जहाँ पर राईस ज्यादा कंजूम किया जाता है। उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ा बिहार में तो इसके लिए जरूरी है कि इस तरीके की प्लानिंग हो कि जहाँ पर जिस तरीके के अन्न की जरूरत हो उसको उसी इलाके में स्टोर किया जाना चाहिए। मैं यह जनना चाहता हूँ कि क्या सरकार का इस के बारे में कोई योजना बनाने का इरादा है ?

एक और बात मैं यह जनना चाहता हूँ कि जनता गवर्नमेंट ने मोरारका कमेटी फूड कारपोरेशन के सिलसिले में तमाम बातों की तहकीकात के लिए और सुझाव देने देने के लिए बनाई थी वह कमेटी भंग कर दी गई है। मैं यह जानना चाहूँगा कि जिन परिस्थितियों में वह कमेटी बनाई गई थी और जिन वाक्यात की जानकारी के लिए फेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए और जो सुझाव आने थे तो क्या वे परिस्थितियाँ समाप्त

हो गई हैं ? अब फूड कारपोरेशन क्या बिल्कुल अच्छा विभाग बन गया है जिसमें अब किसी कमेटी और फरद इन्वेस्टिगेशन या जानकारी की कोई जरूरत नहीं है ?

अब यह जो फूड कारपोरेशन है इससे किसानों को कितनी कठिनाई होती है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो परचेजिंग सेंटरल फूड कारपोरेशन की तरफ से होते हैं वहाँ पर जब परचेजिंग शुरू होती है तो तमाम लोग कभी हड़ताल कर देते हैं, दो दो दिन तक किसान की बैलगाड़ी खड़ी रहती है और माल नहीं लिया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब किसान वहाँ पर पहुँचे तो माल देने के लिए उसे कोई कठिनाई न हो इस बात को एश्योर करने के लिए क्या सरकार कुछ प्रयास करेगी, कुछ स्टेप्स उठायेगी ? यह भी हम जानकारी करना चाहते हैं ? (Time bell rings)

मैं बहुत जल्दी खत्म करूँगा। लासेज के बारे में मंत्री जी ने बताया कि यह बहुत साधारण तरीके का लास है। 1.3% का लास कोई बहुत ज्यादा लास नहीं है। इसके मायने हो गए कि एक क्विंटल में करीब डेढ़ किलोग्राम का लास तो मैं यह जानना चाहूँगा कि एक साल में 1.3% के हिसाब से कितने करोड़ रुपये का लास फूड कारपोरेशन को होता है और सरकार इस लास को कम करने के लिए क्या कोई प्रयास करेगी ? क्या आप इस सिलसिले में कोई कदम उठाना चाहते हैं ? अगर इरादा यह है कि नहीं यह तो कोई लास नहीं हुआ तब तो उस पर कोई कार्यवाही करने का, कदम उठाने का

[श्री नरेन्द्र सिंह]

सवाल ही नहीं उठता। (Time bell rings) हमारे मित्र श्री रामानन्द यादव जी ने बड़ी डिटेल् में तमाम भ्रष्टाचार संबंधी बातों का उल्लेख किया। मैं डिटेल् में नहीं जाना चाहता। किसी पार्टीक्यूलर जगह के लिए, किसी पार्टीक्यूलर दृष्टांत पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि फूड कारपोरेशन में जितनी गड़बड़ियाँ हैं, उससे जो लोग हैं, जो जनता है, उसके मन में ऐसी राय है कि फूड कारपोरेशन की स्थापना जिस लिए हुई थी वह परपज सर्व नहीं हो रहा है, इसमें बड़ी बेईमानी है। तो मैं रामानन्द यादव जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस पर कोई कमेटी बनायी जानी चाहिए, वह बड़ी कमेटी न हो, दो तीन आदमियों की हो सकती है, कोई कमीशन भी हो सकता है जो सारी बातों की जाँच करके फैक्ट्स सरकार के सामने रखे और उस पर कार्यवाही की जाय।

आखिरी बात। यह जो कान्ट्रैक्ट लेबर की बात है, उसके बारे में मैं कोई विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो कान्ट्रैक्ट लेबर हैं दरअसल इसको ज्यादा काम करना पड़ता है बनिस्वत रेगूलर लेबर के और उसका पेमेंट भी इन्ड्योर्ड नहीं होता है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप क्या कुछ ऐसे कदम उठायेंगे, आप कोई ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे जिससे कि ये जो गरीब आदमी हैं कान्ट्रैक्टर जिनका शोषण करता है, इनको शोषण से बचाया जा सके और उनको भी वही वेतन मिल सके जो रेगूलर लेबर को मिलता है। एक और चीज है कि ये जो कान्ट्रैक्ट लेबर हैं इन्हें बहुत समय तक बेकार बैठना पड़ता है। साल में 15 दिक्कल से छः महीने बेचारों को काम

मिलता है और छः महीने बेकार तो इसके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी, ये जो मैंने एक आयोग या कमीशन या कमेटी की बात कही है, उस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री उत्सवापति : उसका उत्तर दे चुके हैं।

राव बरेंद्र सिंह : डिप्टी चैयरमैन साहब, बहुत सी चीजों का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ। श्री नरेन्द्र सिंह जी ने ऐतराज किया है कि यह बात गलत है कि फूड कारपोरेशन में घाटा नहीं है। मैंने यह तो नहीं कहा कि फूड कारपोरेशन में घाटा नहीं है। एक एजेंसी एक सोशल सर्विस अगर इतनी भारी तादाद जिस मुल्क में आबादी की हो, उसके लिए बनायी जाती है तो उस पर खर्च तो होता है। उसको चाहे आप घाटा कह लीजिए, चाहे मुनाफा समझ लीजिए... (Interruptions) एक सर्विस दी जा रही है। हम प्रोवयोर करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुताबिक जो गवर्नमेंट तय करती है। किसानों को इजाजत है उससे ऊपर उनका अनाज बिकता है तो व्ही बेचें, किसी को बेचें लेकिन जब वह नहीं बिकता है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है उससे दो परपज सर्व होते हैं। एक यह है कि किसानों का अनाज मंडियों के अन्दर पड़ा नहीं रहता है, खरीद लिया जाता है उसका नुक्सान नहीं होता है। दूसरा फिर उसी अनाज को कन्ज्यूमर के लिए सस्ते दाम पर एफ० सी० आई० देती हैं। श्री नरेन्द्र सिंह जी की स्टेट गवर्नमेंट अगर 138 रुपये पर दे रही हो गेहूँ तो हमें इस बात का इल्म नहीं है। एफ० सी० आई० का इश्यू प्राइस गेहूँ का

123 रुपये है और यू० पी० में 138 रुपये कर दिया जा रहा है तो आठ रुपये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती होगी अपने हैण्डलिंग चार्जेज के और इश्यू के ऊपर जो खर्च होता है। तो वह यू० पी०.

श्री नरेन्द्र सिंह : कन्ज्यूमर को कितने पर मिलता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कन्ज्यूमर के लिए 130 रुपये पर एफ० सी० आई० अपने गोडाउन से स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए देती है। 130 रुपये के ऊपर...

श्री नरेन्द्र सिंह : 130 रुपये ...

श्री उपसभापति : यह बात स्पष्ट हो गयी है कि 130 रुपये इनके यहां हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : इश्यू प्राइस हमारे यहां 130 रुपये है। अगर उससे ऊपर किसी स्टेट में मिल रहा है तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट और ज्यादा खर्च लगा रही है या उनकी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसियां जो है उन पर ज्यादा खर्च हो रहा है। तो यह भारत सरकार के काबू के बाहर की बात हैं। जितना खर्च होता है एफ० सी० आई० हैण्डलिंग का स्टोरेज का, इंटेरेस्ट का पैसा लगता है, आखिर कुछ तो खर्च होता है। वह सारा व्यौरा मैं दे चुका हूँ, ब्रैक अप बता चुका हूँ, उसके ऊपर एफ० सी० आई० के चार्जेज ज्यादा नहीं हैं। उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ज्यादा नहीं हैं। आपने फरमाया है कि हैण्डलिंग चार्जेज हिन्दुस्तान के अन्दर दुनिया भर में सब से ज्यादा हैं। शायद उन्हें अन्दाजा नहीं कि दुनिया के अन्दर लेबर कितनी महंगी है, बाहर मुल्कों के अन्दर खास तौर से एडवांस्ड कण्ट्रीज में। अगर कहीं आप बाहर गये हों तो आपका बैग उठाने के नाम का एयर-

पोर्ट पर दस डालर से कम कोई उठाने का नहीं लेता है। इससे कम फैंक देता है। यहां तो एक क्विंटल उठाने की बात बताई है कि कन्ट्रेक्ट लेबर बहुत सस्ती उठाती है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) :
अनुपातिक, मंत्री जी।

राव बीरेन्द्र सिंह : पता नहीं क्या मतलब हुआ। हिन्दी तो मैं इतनी जानता नहीं हूँ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : परसेटेज में।

श्री उपसभापति : प्रोपोजनेट।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रोपोजनेटली यहां हिन्दुस्तान के अन्दर जो खर्चा हमारा एफ० सी० आई० में बैग हैण्डलिंग पर होता है उसका तो मैं आपको और पूरा बता सकता हूँ।

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: It is said that it is the highest in the world. हैण्डलिंग चार्जेज दुनिया के सारे देशों से आपके यहां जो परसेटेज है कास्ट पर वह हाईएस्ट है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि यह ख्याल ठीक नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हमको कंपरेटिव चार्ज दे दें आप।

राव बीरेन्द्र सिंह : पीछे कुछ अर्सा हुआ गवर्नमेंट ने आल इंडिया फेडरेशन आफ फूडग्रेस डीलर्स से पता किया था कि अगर एफ० सी० आई० की बजाय आप यह हैण्डलिंग करें और अनाज खरीदें और स्टोर करें और फिर सरकार के

[राव बीरेन्द्र सिंह]

बताए हुए दामों पर आप हमें इश्यू के लिए दें तो आप कितना खर्चा लेंगे ? तो जो खर्चा फूड प्रेंस डीलर्स की एसोसिएशन ने बताया वह फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की कास्ट से कहीं ज्यादा था । इसलिए यह बात सरकार ने नहीं की... (Interruptions).

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अगर यह ज्यादा होती तो फिर बाजार में बाकी गेहूं सस्ती कैसे बिकती ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अगर इसका एतबार न करें तो मेरे पास कोई बात नहीं है । जो मेरे पास इनफार्मेशन है मैं वह बता रहा हूं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने किसी खास कारण से यह बात कही होगी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : पता नहीं कि वह क्या कारण होगा, या काम नहीं करना चाहते होंगे, या वे लोगों की सुविधा के लिए मूसीबत में नहीं पड़ना चाहते होंगे । सरकार तो यह अपना फर्ज समझती है, हमें तो यह काम करना है जनता के लिए ।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी . . .

श्री उपसभापति : उनको आप जवाब देने दीजिए; नहीं तो दूसरे मembre छूट जायेंगे ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : मैं एक चीज की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं जो उन्होंने अमरीका में हैडलिंग चार्जेंज बगैरह के बारे में बताया... (Interruptions)

राव बीरेन्द्र सिंह : अमरीका का तो नहीं बताया ।

श्री उपसभापति : उन्होंने बयान दिया अपना । यह नहीं कहा ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : मैं चाहूंगा कि वे इस बात का भी ध्यान रखें कि अमरीका में मिनिमम एग्रीकल्चरल वेजेज के अनुसार फी घंटा पाच डालर उनको मिलता है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारे मुक्त में जो कन्ट्रैक्ट लेबर बोरिया इधर से उधर उठाती है, हमारे हैडलिंग चार्जेंज 31 पैसे से लेकर 50 पैसे तक है, एक बैग के लिए । तो यह कोई ज्यादा चार्जेंज नहीं हैं हैडलिंग के—एक क्विंटल के बैग के लिए यह काफी सस्ता है इस हिसाब से ।

मोरारका कमेटी किन हालात में तोड़ी गई थी, वह बयान मैं हाउस के अन्दर दे चुका हूं । लेकिन सरकार का यह मकसद नहीं था तोड़ने में कि आइंदा कोई जरूरत नहीं है हमें कि एफ०सी० आई० के वकिंग को देखने के लिए । जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सी कमेटियां पहले बनाई है सरकार ने हर चीज की जांच के लिए और पार्लियामेंट को भी अधिकार है पब्लिक अण्डरटैकिंग के काम को देखने का । वह तो सिर्फ इसलिए तोड़ी गई थी कि जो टर्म्स आफ रेफरेंस उस वक्त थे खास चीज के लिए, उसके बाद अब हालात ऐसे हो गये है कि हमें शायद और ज्यादा जांच कराने की जरूरत पड़े और कुछ नई बातें है, हम उनको सोचने के लिए किसी कमेटी को दें यह सरकार इस बात पर विचार करे कि एफ०सी० आई० का आपरेशन चार-

पांच करोड़ का हो गया है, क्या एक अण्डरटेकिंग सारा काम ठीक तरह से संभाल सकती है या इसके काम को बांटा जाए, घटाया जाए या कोई और दूसरी आर्गनाइजेशन बनाई जाए, इन सारी बातों के लिए सरकार विचार कर रही है। इस सिलसिले में फिर अगर कोई कमेटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर बनाई जाएगी। स्टोरेज की दिक्कत की वजह से बाज दफा नुकसान ज्यादा हो जाता है। ओपन में भी स्टोरेज किया जाता है गोदाम काफी नहीं है। लेकिन स्टोरेज केपेसिटी बढ़ाने के लिए भी सरकार का ध्यान है। लेकिन जो फाइनेन्शियल स्ट्रेन्स है वह तो आनरेबल मेम्बर जानते ही हैं। इस वक्त कोई 77 लाख टन की केपेसिटी है एफ० सी० आई० की अपने गोदामों की और इसको भी और आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इसमें 77 लाख टन तो एफ० सी० आई० की अपने गोदामों की केपेसिटी है फिर हायर्ड भी है—85 लाख टन के करीब हायर्ड में है। फिर ओपन में भी रखा जाता है वह भी 65 लाख टन के करीब है और इसके अलावा सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और गोदाम बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, ए० आर० डी० सी० की स्कीम है उसके नीचे गोदाम बन रहे हैं ताकि यह नुकसान न हो पाए। एफ० सी० आई० का गोदाम बढ़ाने का प्लान है और कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। यह जब हो जाएगा तो जितना नुकसान हो रहा है वह घटेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह ने पूछा 1.3 परसेन्ट जो लाभ होता है उसके ऊपर कितने करोड़ रुपये का नुकसान होता है। चार-पांच हजार करोड़ रुपये का जहां टर्न ओवर होता हो और जहां 20

मिलियन टन तक स्टोरेजिंग एफ० सी० आई० रखता रहा हो उस में नुकसान 1.3 परसेन्ट का मैं कम तो नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर इसकी भी रकम देखी जाय तो भी काफी रकम आएगी। 40-45 करोड़ रुपये के बीच में एक साल में यह नुकसान पहुंचता है। लेकिन जहां चार-पांच हजार करोड़ का मामला हो उसमें अगर 40-50 करोड़ रुपये किसी वजह से नुकसान हो जाता है—बारिश भी आ गई, तूफान भी आ गया चोरी भी हो गई—अनाज तो घरों में भी काफी सड़-गल जाता है आदमी कितनी अहतियात रखे इतना गोदामों के अन्दर नुकसान हो जाता है। तो इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है लेकिन इसको घटाने की सरकार कोशिश कर रही है। एफ० सी० आई० के अन्दर जहां जहां कमियां मिलती हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का काबू भी और ज्यादा इस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक पब्लिक अण्डरटेकिंग है, कारपोरेशन है। आप जानते हैं इन मामलों में सरकार के लिए बाज दफा दखल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार ज्यादा दखल दे तो आनरेबल मेम्बर भी कुछ कहने वाले हो जाते हैं कि इन्टरफेयरन्स हो रहा है कारपोरेशन के काम में। अब हम सवारी गांठें तो भी मुश्किल ढीला कर द तो भी हमारी मुश्किल। जवाब देना पड़ता है सरकार को मिनिस्टर्स को अब मैं कोशिश कर रहा हूं पब्लिक अण्डरटेकिंग के अन्दर जहां हम ऐसा देखेंगे कि बहुत ही खुद मुश्किल हो गए हैं अफसरान तो मेरी कोशिश होगी कि वहां थोड़ा सा नियंत्रण लागू करेंगे।

श्री. नागेश्वर प्रसाद शाही : हम चाहते हैं आप सवारी जरूर गांठें।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर आप मदद देंगे। इस मामले में उसकी जरूरत में सहस्र करता हूं। उस चीज को काफी ठीक किया जा सकता है और नुकसान को घटाया जा सकता है। इंतजाम को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हाउस के सहयोग की भी जरूरत है। सरकार की मन्शा जरूर है कि जितना नुकसान होता है एफ० सी० आई० में उसको रोका जाए और जैसा मैंने कहा वह उतना बड़ा कारपोरेशन है उसमें नुकसान ज्यादा है...

श्री उपसभापति : अभी बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह कहा गया कि कांट्रैक्ट लेबर को काम नहीं मिलता है और कांट्रैक्ट लेबर नुकसान में रहता है बहुत दिनों बेकार बैठा रहता है। अगर कांट्रैक्ट लेबर को फायदा न हो तो वह कोई दूसरा काम करे। वे एफ० सी० आई० के काम के लिए ही रहते हैं।

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): This is very unfair to the labour in our country. (Interruptions). What is it? (Interruptions).

श्री उपसभापति : अब आप बैठिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : कोशिश यही की जाती है कि जो लगे बंधे वर्क्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए। उनकी जगह दूसरे भी नहीं आते। उनको काम पर लगाए रहे इसकी कोशिश होती है और जो कांट्रैक्ट लेबर है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि काम ज्यादा से ज्यादा मिले। कुछ ऐसे वर्क्स भी हमारे हैं जिन को काम नहीं मिलता है तो उनको कुछ अलाउंस दिया जाता है ताकि वे इंतजार में रहें और उन को बिल्कुल खाली न रहना पड़े। मंडियों के अन्दर सुविधा की बात नरेन्द्र सिंह

जी ने की। वह एफ० सी० आई० का काम नहीं है। वह मार्केटिंग कमेटीज़ करती हैं। और सरकार की तरफ से जो दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं वह दूसरी बात है। इस मामले में इस वक्त उसका जिक्र करना मैं ठीक नहीं समझता।

श्री नरेन्द्र सिंह : एक मिनट।

श्री उपसभापति : अब नहीं। बैठ जाइये।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : उपसभापतिजी, माननीय कृषिमंत्री जी ने एफ० सी० आई० के सम्बन्ध में कई बातें कहीं, यह ठीक है कि कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जवाब दिया है। अगर राव बीरेन्द्र सिंह बोलते तो वह शायद दूसरी बात कहते। सारे देश भर और सदन के सब लोगों को मालुम है, जैसा माननीय यादव जी ने भी कहा, कि एफ० सी० आई० में कितना भ्रष्टाचार है।

श्री उपसभापति : खंडेलवाल जी जो बातें कही जा चुकी हैं उन्हें न दोहराइये।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरा यह कहना है कि सब मिला कर एफ० सी० आई० तीन काम करती है और तीनों कामों में बहुत भ्रष्टाचार है। सब से महत्व की बात यह है कि एफ० सी० आई० जिन केन्द्रों से अनाज खरीदता है वहां पर व्यापारियों और अधिकारियों की मिली हुई सांठगांठ होती है, वहां भ्रष्टाचार होता है। भंडारण के लिए धनाज को लाने ले जाने का काम जब होता है तब वहां भ्रष्टाचार होता है। कई बार कहा जाता है कि वैगनों की कमी है, लेकिन जब कभी वास्तव में वैगन मिलते हैं, तब भी रोड़ ट्रान्सपोर्ट से माल ले जाया जाता है इसलिए वैगन की कमी बताकर भ्रष्टाचार किया जाता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाने का काम होता है उसमें भी एफ० सी० आई० में भ्रष्टाचार होता है। अभी कुछ दिन पहले

माननीय कृषि मंत्री जी के ज्वाला में लाया गया था कि 40 हजार टन जो गुजर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गयी—उसके बारे में यहां पर एक बात कही गयी और मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी बात कही—उसमें घोटाला हुआ है। मैं कृषि मंत्री जी से तीन चार सवाल इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। पहला मेरा सवाल यह है कि क्या एफ० सी० आई० के सारे कार्यकलापों की जांच के लिए, जैसा और भी माननीय सदस्यों ने एक कमेटी नियुक्त करने का सुझाव दिया है, अपनी ओर से भी मेरा सुझाव है—कि क्या संसद सदस्यों की कमेटी एफ० सी० आई० के सारे कार्यकलापों की जांच के लिए नियुक्त की जा सकती है? यह माननीय मंत्री जी बतायें। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि खाद्य निगम में ठेके की प्रथा चालू है। अनेक माननीय सदस्यों ने बताया कि मजदूरों का शोषण होता है। क्या मजदूरों की सहकारी समितियां बना कर एफ० सी० आई० का सारा मजदूरी का काम, माल ढोने का काम दिया जा सकता है। तीसरा मेरा सवाल यह है कि एफ० सी० आई० के जो कर्मचारी हैं क्या उन को बोनस देने का सरकार विचार रखती है? चौथा मेरा सवाल यह है कि किसानों से माल खरीद में जो देरी होती है केन्द्रों पर, वह न हो, उन का माल समय पर खरीदा जाय, वह पड़ा न रहें, उन की गाड़ियां खड़ी न रहें उन की गाड़ियां खड़ी रहती है और किसान उकता कर कम कीमत पर अपना माल व्यापारी को बेच देता है—क्या इसकी व्यवस्था ऐसी की जायेगी जिससे किसान से उचित मूल्य पर और समय पर अनाज खरीदा जा सके? क्या मंत्री जी यह बतायें कि इस की व्यवस्था सरकार क्या करेगी? पांचवीं बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि भंडारण की गड़बड़ी के कारण माल खराब हो जाता है। गत दिनों में इसी सदन में भाई महावीर जी ने कहा था कि 35 लाख रुपए का चावल पंजाब में इसलिये खराब हो गया कि वह खाद के साथ रख दिया गया और जब जांच हुई तो दो बार जांच में यह पाया गया कि यह खाने के लायक नहीं है, मानव उप-

योग के लिए नहीं है, लेकिन बाद में पता नहीं किस कारण से फिर तीसरी बार जांच में पता चला कि अब इन्सान इस को खा सकता है। ऐसे घोटालों की जांच के लिए सरकार क्या करेगी? इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जहां पर गोदाम बनाने का काम हो रहा है वह भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस को स्वीकार किया कि लाखों टन अनाज बाहर पड़ा रहता है जिस के कारण खराब हो जाता है। एक और गड़बड़ होती है जिस की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह जो लकड़ी के चौखट बनते हैं जिन पर अनाज के बोरे रखे जाते हैं वे निश्चित प्रकार की लकड़ी के चौखट बनने चाहियें। मेरी जानकारी यह है कि आम की लकड़ी के चौखट बनने चाहियें। मेरी जानकारी यह भी है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। ठेकेदार और अफसर मिलकर आम की लकड़ी का जो चौखट की बजाय दूसरी खराब प्रकार की लकड़ी या नीच स्तर की लकड़ी का उपयोग करते हैं। उसकी वजह से लकड़ी जल्दी सड़ जाती है और माल भी सड़ जाता है और उस में कीड़ा लग जाता है। जो दवाएं खरीदी जाती हैं एफ० सी० आई० गोदामों में छिड़कने के लिये, कीड़ा मारने के लिए कीटनाशक दवाएं उसके खरीदने में भी भारी भ्रष्टाचार होता है। उसमें निम्न श्रेणी की दवाएं उपयोग में लायी जाती है। इन सारी बातों को रोकने लिए माननीय मंत्री जी क्या सोचते हैं, इसके क्या उपाय हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

आखिर मैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में संसद सदस्यों की एक कमेटी जो सारे एफ० सी० आई० के मामले, कार्या-कलापों की जांच करे, नियुक्त करेंगे, यह मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष रूप से अपने वक्तव्य में बतायें।

राव बोरेंद्र सिंह : माननीय डिप्टी चैयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की बात आनन्दबल मेम्बर ने एफ० सी० आई के बारे में की। ज्यादातर

[राव बीरेन्द्र सिंह]

माननीय सदस्यों ने यही कहा कि एफ०सी०आई० के काम के अन्दर बहुत गड़बड़ है, घोटाला है और इसी के साथ-साथ मांग कर रहे हैं कि बोनस मिलना चाहिये कर्मचारियों को। ये दो-त्रातें मेरी समझ में नहीं आती। अगर एफ०सी०आई० का काम ठीक और ईमानदारी का हो और उसमें किसी को कोई शिकायत न हो तब तो यह बात करना ठीक लगता है। जब हम एफ०सी०आई० की वर्किंग को देख रहे हैं तब बोनस के ऊपर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता।

वैगन्स की कभी-कभी कमी जरूर पड़ जाती है जब अनाज खरीदा जाता है चाहे चावल हो या गेहूं। माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि ज्यादातर प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा से होता है, दोनों चीजों का पहले पंजाब से गेहूँ और चावल आता है और उसके बाद हरियाणा से। इस बार जो गेहूँ खरीदा गया, 58 लाख टन खरीदा गया जिसमें 42 लाख टन अकेला पंजाब का है और 10 लाख टन हरियाणा का। नरेन्द्र सिंह जी जिस स्टेट से आते हैं वहां से कुल पांच लाख टन गेहूँ मिला है। इसी तरह से चावल खरीदा जाता है। 75 फीसदी के करीब सारा प्रोक्योरमेंट चावल का इन्हीं दो तीन स्टेटों से आता है और बाकी 25 फीसदी बाकी के हिन्दुस्तान के हिस्सों से। जब खरीद होती है तो दो तीन महीनों में ही सारा आपरेशन हो जाता है। मंडियों में किसानों का अनाज आता रहता है और वह सारा खरीद कर गोदामों में जमा करना पड़ता है। अगर हमें उसको कहीं दूर भोजना है तो हमें थोड़ी रूकावट पड़ जाती है। जहां तक हो सकता है स्थानों स्थानों से स्टॉक लिया जाता है और उनको अगर गोदाम मिल जाए तो ठीक है वहां रख देते हैं नहीं तो आपन में रखना पड़ता है। जो दूसरे स्टेट हैं उनको भेजने के लिये दुबारा वैगन्स की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने पहले बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। अब की बार हमने पूरी कोशिश की सारी जरूरत

पूरी करने की, हर जगह अनाज पहुंचाने की पूरी कोशिश की। कभी-कभी खरीद के टाइम पर दिक्कत पड़ती है लेकिन इस बार नहीं पड़ी। पिछले साल की तरह नहीं हुआ कि मंडियों में अनाज पड़ा सड़ता रहा। बोरे नहीं हैं यह कह दिया गया। किसानों को भी लूटा गया व्यापारियों से मिल कर लेकिन इस बार इतना सख्त इंतजाम किया गया कि सारे हिन्दुस्तान से एक भी शिकायत मेरे पास एफ०सी०आई० के खिलाफ नहीं आई। (Interruptions) यह बात बिल्कुल गलत है कि किसान ने परेशान हो कर इस बार मंडी को अपना अनाज नहीं भेजा या किसान के पास अनाज पड़ा रहा। ज्योंहि अनाज मंडी में आया फौरन उसकी खरीद की गई। बोरो का इंतजाम पहले ही से किया गया। जो जो कर्मचारी थे मंडियों के उनके नाम मैंने अपने पास लिख कर रखे हुए थे। इसलिये लिखे थे कि अगर उनमें से किसी की शिकायत आई तो मैं बताऊंगा कि उसका नतीजा क्या निकलता है। (Interruptions)

श्री नरेन्द्र सिंह : किसान नुकसान की वजह से ...

राव बीरेन्द्र सिंह : पहले की बात कर रहे हैं जब दूसरे लोगों का राज था, दूसरी पार्टी का राज था। संसदीय कमेटी बनाने की तजबीज को मैं इस वक्त ठीक नहीं समझता हूं। हमारे पास पहले से ही पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है। लकड़ी के फट्टे और इसे विटसाइड्स खरीदने में कुछ गड़बड़ी होती है, इसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है। यह चीज पहले ही मेरे नोटिस में आ चुकी है। लकड़ी के फट्टे जो बनवाये जाते हैं, शायद वे कुछ ठीक न हों, कंटेनटर भी अच्छा न मिला हो जो माल सप्लाई करता है। इसमें यह भी कहा गया कि अफसरान मिले हुए हैं। हमने इसकी छानबीन और जांच-पड़ताल की है। अगर कहीं हमें मालूम हो जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़

हैं तो हम जरूर एक्शन लेंगे। इस बारे में आनरेबल मेम्बर हमें कोई इन्फार्मेशन दें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा और हम उस पर इन्क्वायरी कराएंगे और अपराधियों को सजा देंगे।

पंजाब के अन्दर जो नुकसान हुआ, उसकी प्रेस रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है और इस बारे में हमने जानकारी भी मालूम की है। वह स्टेट वेयर हाउसिंग का गोदाम था और उनकी तरफ से ही उसमें चावल जमा किया हुआ था। फर्टिलाइजर भी वहां रखा हुआ था। जो जानकारी हमें माननीय सदस्य ने दी है उसको मैंने देखा है। उस वक्त गोदामों की कमी की वजह से कुछ फर्टिलाइजर और चावल वहां रखना पड़ा था। यह जिम्मेदारी उस गोदाम वाली एजेन्सी की होती है, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की और सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की होती है और इस प्रकार के मामलों में जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी ही होती है। वह नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ता है।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : यह अनाज खाने के लिए नहीं भेजा जाएगा, क्या इसको आप देखेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वह नहीं भेजा जाएगा। तकसीम करने से पहले अनाज टेस्ट कर लिया जाता है। अगर अनाज खराब होता है तो तकसीम नहीं होता है।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, एफ० सी० आई० इस मकसद से बना था कि लोगों को अनाज ठीक दाम पर और वक्त पर मिल सके।

श्री उपसभापति : आप तो बहुत विद्वान हैं, इसलिए कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिये।

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमन्, एफ० सी० आई० का मुख्य मकसद यह है कि कंज्यूमर को

ठीक वक्त पर अनाज मिले, लेकिन ऐसा लगत है कि उसका वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है इसकी वजह यह है कि इसका संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। यह संस्था भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहां पर भ्रष्टाचार अपनी इतिहा तक पहुंच चुका है। मैं चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। श्री मंत्री महोदय ने कहा कि एफ० सी० आई० के लिए 11 कमेटियां बन चुकी हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि हमारे पास पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है। लेकिन तमाम इन बातों के बावजूद इस विभाग की थोड़ी इन्क्वायरी नहीं हो सकी है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इन सब बातों की वजह से जनता सरकार ने श्री मोरारका की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, लेकिन आपने उसको खत्म कर दिया क्योंकि आपको लगा कि कई अफसर पकड़े जाएंगे और दूसरे लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए मोरारका कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी जो तकलीफदेह बात है, वह यह है कि आपके अन्दर शायद कम्प्लीमेन्सी आ गई है। आप समझते हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप कहते हैं कि कंट्रेक्ट लेबर सस्ता पड़ता है और दूसरे डिपार्टमेंटल लेबर महंगे पड़ते हैं। एक में तो 26/- रु देने पड़ते हैं और दूसरे में केवल 15/- रु देने पड़ते हैं। आपके कहने का मतलब यह हुआ कि स्लैब लेबर तो सस्ता है और जो फ्री लेबर है वह महंगा है। आपका यह कहना बहुत तकलीफदेह है। अगर आप समाजवादी विचारधारा को अपना आदर्श मानते हैं तो आपको कंट्रेक्ट लेबर को खत्म कर देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो साफ नहीं हुई है, वह यह है कि आपने यह कहा कि पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा अनाज देते हैं। श्री-फोर्थ या इसी प्रकार की बात आपने कही है जो अनाज वे देते हैं। यू० पी० भी बहुत देता है। बिहार कुछ नहीं देता है। पंजाब और हरियाणा में अनाज को जमा

[श्री शिव चन्द्र झा]

करने के लिये गोदाम सर्फीशिएंट नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अनाज सड़ जाता है। इसके अन्दर दर्शन की बात भी आ जाती है। आप कान्ट्रेक्ट लेबर की बात करते हैं और उसको जारी रखना चाहते हैं। मोरारका कमेटी मोटिवेटेड होकर तथा बदले की भावना से, क्योंकि जनता सरकार ने बनाई थी, इन तमाम बातों की तफसील में नहीं जाना चाहती। मोरारका नाम न रखें लेकिन किसी दूसरे अपनी ही पार्टी के संसद् सदस्य के मातहत और उसमें कुछ संसद् सदस्यों को लेकर दूसरी संशोधित कमेटी बनायें। आप महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार है, लास है, पिलफेरेज है, सब कुछ महसूस करते हैं और जब इतना करते हैं, रेजिडिंटर है, प्राइमा फेसी केस है, तो इसकी थ्योरी की जांच हो। जो टर्म्स आफ रेफरेन्स बनाये हैं वे भी रखे जायें और उन टर्म्स आफ रेफरेन्स को दो-चार हिस्सों में बाटें। लेकिन जो समस्या है वह यह मांग रही है कि इसकी थ्योरी इन्क्वायरी करके इसका एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाये, नया रूप इसका बनाया जाये। मोरारका कमेटी की तरह एम० पीज० की दूसरी कमेटी आप बनायेंगे। मैं उसको...

श्री उपसभापति : आप अपना दूसरा सवाल पूछिये।

श्री शिव चन्द्र झा : दूसरा, कान्ट्रेक्ट लेबर जो आपने कहा कि यह सस्ती है डिपार्टमेंटल लेबर से कान्ट्रेक्ट लेबर इसलिये हो। क्योंकि यह सस्ती है इसलिये यह आप कहते हैं। तो आप यह भी कहेंगे कि स्लेब लेबर बहुत सस्ती है इसलिये कान्ट्रेक्ट लेबर नहीं चलेगी। डिपार्टमेंटल लेबर को स्ट्रीम-लाइन करने के लिये और भी कोई रास्ता सोचें और कान्ट्रेक्ट लेबर न चले इसका फैसला आप करें।

तीसरा मेरा सवाल है कि आपके 2135 गोदाम हैं। देश में 5005 ब्लाक्स हैं।

कम से कम हर ब्लाक पर आपका एक गोदाम हो, इसका कोई कार्यक्रम क्या आप बनायेंगे और खास करके पंजाब और हरियाणा जिन पर देश को नाज है, हम लोगों को नाज है वहां पर स्टोरेज के लिये हर ब्लाक पर गोदाम हैं या नहीं है ?

चौथा और आखिरी सवाल, उपसभापति महोदय वह यह है कि जो कान्ट्रेक्ट लेबर है, जो एफ० सी० आई० का खर्चा है और जो सेल्स प्राइस है क्या उसमें रिलेशन कायम रखा है और जो कांस्पिकुअस एक्स्ट्रावेगेंसी है उसके बारे में आप क्या करेंगे।

श्री उपसभापति : जो उत्तर दिये जा चुके हैं उनको दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : आप उनकी तरफ से जवाब देने लग जाते हो।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी चेयरमैन साहब, पहले तो माननीय सदस्य ने एक ऐसा तर्क किया जिसका जवाब देने की जरूरत तो नहीं है लेकिन क्या करूं जवाब देना पड़ता है।

उन्होंने सवाल किया कि यहां कान्ट्रेक्ट लेबर बेशक सस्ती है लेकिन उसको रेगुलराइज करो, डिपार्टमेंटल बनाओ। डिपार्टमेंटल लेबर अगर काम नहीं करती है बेशक न करे, उनका तात्पर्य यह है कि न भी काम करे, मंहगी भी पड़े तो भी रखो और कान्ट्रेक्ट लेबर सस्ती भी हो उससे काम न लो। कान्ट्रेक्ट लेबर कोई हिन्दुस्तान के बाहर से आती नहीं। यहीं के लोग हैं, जो ज्यादा मेहनत से काम करना चाहते हैं, जो ज्यादा जरूरत मन्द है और जो सस्ते में काम करने को तैयार हैं, जिनको इम्प्लाइ-मेंट नहीं मिलता। जो सुस्त हो जाये या हड़तालों पर उतर आयें उनको आप बोनस भी दिलाना चाहते हैं, उनको आप परमानेंट कराना चाहते हैं, रेगुलर भी बनाना चाहते हैं, तो यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

(Interruptions)

श्री उपसभापति : दूसरे सवाल का जवाब दीजिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : कान्ट्रेक्ट लेबर एफ० सी० आई० के अन्दर ही नहीं है । एक सिस्टम चल रहा है इस देश के अन्दर । खाली एफ० सी० आई० नहीं करती कान्ट्रेक्ट लेबर इम्प्लायी, पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट में भी है, रेलवे में भी है ...

श्री शिव चन्द्र झा : आप अपने डिपार्टमेंट की बात कीजिये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : दूसरे डिपार्टमेंट में भी है । जितने डिपार्टमेंट है सब कान्ट्रेक्ट लेबर से काम कराते हैं और इसके अन्दर कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि कान्ट्रेक्ट लेबर ही रखना चाहिए । काम अच्छा होना चाहिए । दोनों सिस्टम चल रहे हैं । जब देश कोई पालिसी बनायेगा हम इस लायक हो जायेंगे कि बेशक कोई काम करे या न करे लेकिन उसको पक्का बनाकर बैठा देना है, इसलिये आनरेबल मेम्बर जो चाहते हैं वह उस वक्त सोच लिया जायेगा ।

एफ० सी० आई० के अन्दर कोई ऐसा ज्यादा लास मैं नहीं मानता या इतनी गड़बड़ी तो नहीं मानता या एफ० सी० आई० ही एक ऐसी पब्लिक अन्डरटेकिंग है जिसकी वजह से हम परेशान हों । अगर दूसरी पब्लिक अन्डरटेकिंग का एफ० सी० आई० के साथ मुकाबला किया जाए तो एफ० सी० आई० को दुरा नहीं बताया जा सकता । सिर्फ इतना ही मैं अर्ज करना चाहूंगा ।

हर एक ब्लाक स्तर पर गोदाम बनाए जाएं, इसके बारे में मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ । फाइनेशियल दिक्कत होती है । हर ब्लाक लेवल पर गोदाम बनाना एफ० सी० आई० का काम नहीं है । सेंट्रल वेयरहाऊसिंग

कारपोरेशन है, स्टेट्स की वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन है । हम तो हर गांव के लेवल पर कोऑपरेटिव के जरिये से रूरल गोदाम बनाने की स्कीम बना रहे हैं ताकि हर गांव के अन्दर आहिस्ता आहिस्ता गोदाम बनाए जाएं जिसके अन्दर किसान अपना अनाज रख सकें । एफ० सी० आई० वितरण के लिए अनाज जमा करता है और स्टेट्स में कहीं न कहीं गोदाम बना कर स्टेट की जरूरत के मुताबिक स्टोरेज का इंतजाम करता है । हर ब्लाक के ऊपर एफ० सी० आई० जिम्मेदारी नहीं ले सकता । एक अजीब बात मैं समझ नहीं पाता कि माननीय सदस्य का मतलब क्या है जब वे कहते हैं कि एफ० सी० आई० न कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, न प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा है तो यह काम क्या कर रहा है । अगर फूड कारपोरेशन को नहीं रखना चाहते तो वे कोई तजवीज रखे कि फिर यह काम कैसे चल सकता है । यह काम किस से कराया जाए ? कौन-सा तरीका ऐसा हो सकता है जो इससे बेहतर हो जो इतना बड़ा काम सम्भाल सके और सस्ता अनाज देने के लिए गवर्नमेंट की मदद कर सके । इतनी बड़ी तादाद में खरीद कर सके । इस वक्त हमारी निगाह मे एफ० सी० आई० से बेहतर कोई दूसरी तजवीज नहीं है । आखिर कोई तरीका तो मिलना ही चाहिए ।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): I am surprised to hear such an anti-labour statement from the Minister. It has been laid down that contracting out labour is not admissible under the Minimum Wages Act which was enacted for this purpose or for that matter under any labour legislations. The Minimum Wages Act was passed so that the labour is not exploited and so that minimum wages are definitely paid. Similar was the reason why this Contract Labour Regulation and Abolition Act, 1970, was passed. Many private owners are prosecuted for paying less than the minimum wages even if they go

[Shri S. W. Dhabe.]

their regular work done through the contract labour. I am not sure whether the Minister is aware of section 10 of this Act which says that if the work is of a perennial nature and of sufficient duration, then the Government is bound to take action to abolish the contract system. The Food Corporation of India is doing a job which is of perennial nature handling foodgrains both in the godowns and during transportation. This is not a work of temporary nature. I can understand if a *biri* manufacturer says this thing. He has said that the cost of contract labour is Rs. 6 and the cost of departmental labour is Rs. 15. Therefore, he wants the contract labour system to continue. 3000 workers have been regularised. But 12,000 workers are still working in States like Haryana, Punjab, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jammu and Kashmir, etc. In so many States this system is continuing. Sir, this system should be abolished.

Also, it would be wrong to say that the departmental workers do not do their work. If your statement is to be accepted, then all your engineers, clerks, officers and even your Chairman should be on daily wages on contract basis. Pay them daily wages and don't pay them monthly salaries. To say that departmental labourers or workers do not work is a slur on the entire working class. Do you mean to say that the Central Government employees do not work because they are permanent? If sometimes they adopt work to rule, it is because the officers do not look after their grievances. The Annual Report of the Food Corporation of India for 1977-78 was published in February 1980. After that, for two years, no report has been published. The reports for 1978-79 and 1979-80 have not been published. I would like to know from the Minister whether he is aware of the Contract Labour Regulation and Abolition Act, 1970, which says that if the work is of a perennial nature, no contract labour should be

allowed. It must be abolished. And what are the contractors doing? I have got a case here from Dumarpali in Orissa State where the contractors and the officers get a portion of the wages paid to the workers. Will he take any steps to see whether the contractors are paying the proper wages and whether they are paying whatever wages that are fixed? Will he appoint an officer or a Labour Department's representative to see whatever they show on the muster roll as wages is actually paid to the workers? That is why, Sir, discontent is there, and the contractors are not even paying the wages fixed by them. And a lot of corruption is going on. The Minister cannot say that the Food Corporation is working very well. I would like the Minister to seriously consider today's labour legislations. When the working of a permanent type is going on, the demand of the workers is just and the contract system has to be abolished. For 12,000 people, some incidental cost will go up. Does he mean to say that he will keep the workers without any service conditions because they do good work? Sir, this is exploitation of workers and nothing else.

Secondly, Sir, I would like to know whether he is aware that the Public Undertakings Committee has recommended that Parliament Members should be associated with the public Corporations. Not only that, Members of Parliament should be taken on the Board of Directors. Such a big Corporation of which he is proud has only six Directors on its Board. And such a Corporation with Rs. 4 to Rs. 5 thousand crores is run by six persons. Why not the workers' representative taken on the Board of Directors? You want the workers' participation. You accept that in principle. It is only done at the unit level—in some storage depots and processing plants. Therefore, my two questions are: Will the Minister reconsider and change his views about the labour relations, and abolish the contract system looking into the

section 10 of the Act? Will he implement the recommendation of the public Undertakings Committee and take Members of Parliament on the Board of Directors. Thirdly, I would like to ask him whether the private store agency which is working havoc in the Food Corporation will also be abolished to stop corruption in the Corporation.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, the hon. Member has raised two points. One relates to the payment of minimum wages. Employment of contract labour does not in any way contravene the provisions of the Minimum Wages Act.

SHRI S. W. DHABE: I have not said about the minimum wage. I have given an example how the contractors are not paying the wages fixed.

RAO BIRENDRA SINGH: If they are earning more than the minimum wages, then the question does not arise.

SHRI S. W. DHABE: I only gave an example how the contractors...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That you have pointed out.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, he has pointed out the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. I have seen Section 10 of the Act also, Sir. Actually, the object of this Act is not to prohibit employment of contract labour at all. It is to regulate the employment of contract labour. And if I may point out to the hon. Member, the very preamble of the Act says: "An Act to regulate the employment of contract labour in certain establishments and to provide for the abolition in certain circumstances and for matters connected therewith." Prohibition of contract labour in certain establishments can be recommended by a State Government.

SHRI S. W. DHABE: The appropriate Government is the Union Government.

RAO BIRENDRA SINGH: The appropriate Government is the State Government and not the Central Government in this case. And the State Government sets up advisory committees for the purpose.

SHRI S. W. DHABE: The appropriate Government in relation to the Food Corporation is the Central Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You hear him. It is his version.

RAO BIRENDRA SINGH: So, Sir, we are not doing anything against the provisions of the Act which the hon. Member has mentioned.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Surjeet.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET (Punjab): Sir...

SHRI S. W. DHABE: He did not reply to my question about the recommendations of the Public Undertakings Committee.

RAO BIRENDRA SINGH: MPs are there on the public undertakings.

PROF. RAMLAL PARIKH (Gujarat): Sir, on a point of order.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, two points have been raised here.

PROF. RAMLAL PARIKH: Sir, there are non-official Bills today in the afternoon. They need some time. Some Members have also to go by the afternoon trains. Please keep some time for them also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am trying to get it finished before lunch.

RAO BIRENDRA SINGH: Because I have to reply to every Member separately it takes time. If you could ask all of them to put the questions and then I would reply all of them together, that would save time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the procedure.

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): Then it will not be Calling Attention.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, two issues have been raised through this Motion and the Agriculture Minister has so far not been able to give any satisfactory answer to them. The first one is in relation to the contract labour. I would like the Minister to get the interpretation, it is better, from the Labour Ministry, whether when that Act was passed by Parliament it was meant only for regulation. It was specifically meant to abolish contract labour, because the contract labour was worst exploited and today it is still worst exploited. The purpose of the Act was to see that it should be abolished as much as can be and regulated where it cannot be done otherwise. And it was obligatory on the part of the Government in public undertakings that we should apply that Act so that the worst exploitation is done away with. Sir, here I would like to know from the Minister whether it is the policy of the Government to see that if the cost comes to Rs. 6, they should provide the contract labour so that they can save Rs. 3. The first question that I would like to know is whether it is the policy of the present Government to see that through the worst exploitation of contract labour the losses of the FCI should be minimised. This is my first question. My second question is in relation to the working of the FCI and the overhead charges. I would like to know from the Minister how is it and on what basis it is being argued that it is not very much as compared to other departments and as compared to other countries. Also I would say, because the issue price of wheat comes to Rs. 130. The purchase price comes to Rs. 115. Sir, Rs. 600 crores of subsidy is being used, which would come to, if we treat 12 million tonnes to be

used by the public distributions system, Rs. 45 per quintal. The total money which the FCI spends comes to Rs. 60 per quintal. Would the Minister not say that this is very much? My third question is, has he calculated that this is too much because I know that in 1968 I tried to work it out when the monopoly procurement system was introduced in Punjab. The Civil Supplies Department was handling it along with the FCI. Its cost of handling by the civil Supply Department was Rs. 15 per quintal and that of the FCI was Rs. 35 per quintal, at that time. I do not know the present figures. My fourth question is, is the Minister not aware that many complaints have been received? He has tried to say that losses are very small, only 1.3 per cent. He is examining the papers. Actually losses are there. If he goes into the working of the FCI, he would come to know that losses are there. Maybe, in the books 1.3 per cent losses are shown but that also comes to Rs. 50 crores. But in actual practice if he would try to examine the stocks, he would not find many stocks in many places. Fifthly I would like to know whether he has come to know that at many places it is found that the stocks distributed, when they have gone to States for distribution, or when they have been distributed through the Food For Work Scheme, have been found to be unfit for human consumption. These are my questions. I would like the Minister to clarify these questions. Otherwise, merely defending the FCI would not help improve the matters. We are trying to help him so that his work is streamlined and we are able to provide cheaper grains to consumers and provide some money to the producers. This is the point which was mentioned by others also.

RAO BIRENDRA SINGH: I would like to make it very clear that the employment of contract labour is not at all for the purpose of exploitation of labour. This is a system which

has been accepted in this country in several Government Departments.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Accepted?

RAO BIRENDRA SINGH: And there is no intention at all...

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: ...to change the system?

RAO BIRENDRA SINGH: No, that has been framed, as you yourself mentioned. The Government is certainly trying—after all it is this Government which framed the Act—that wherever possible, on the recommendations of the State Governments—it is for the State Governments to take action, and on the recommendations of the Advisory Committee set up by State Governments for this purpose—action is taken to replace contract labour with some other form of working force. It is not at all correct to allege that the Government is trying to exploit labour force in this country. At the same time, we certainly want to keep the overhead costs low. Would the hon. Member suggest that we should increase hire cost of storage, procurement, handling and raise the issue price also? After all, we can only supply cheap food-grains by giving some subsidy for this purpose but keeping the costs also low...

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET:.....by employing contract labour.

RAO BIRENDRA SINGH: I do not know. He mentioned the case of Punjab. I do not think it would be correct to say that the Punjab Government was keeping the cost at Rs. 15 as compared to something more than that in case of FCI only by keeping regular workers' force and departmental labour. Every Government tries to utilise the workers available in the field for a particular purpose, from all sectors and as many as possible are regularised.

And, Sir, FCI has another difficulty. The FCI's godowns are not all permanent godowns. They are not all godowns owned by the FCI. FCI hires the godowns. It uses the godowns of Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations. In one place a godown is hired; then it is de-hired and then it is some other place where other godowns are hired. Now if the labour is departmentalised, where will they go if the FCI does not run the godown the next day? There will be many practical difficulties in departmentalising the entire workers' force. Therefore, the hon. Member, I hope, would appreciate that whatever is being done is only to try and give as many facilities as possible and to regularise the workers in view of the regular work load that is available with the FCI at different stations. But at every station where the FCI cannot always maintain a godown, we cannot have permanent departmental labour.

Then, the hon. Member stated that the cost of procurement of wheat is Rs. 115. It is Rs. 117 this year. And I have given the break-up of the costs over the procurement prices, which makes up the cost at the time of issue. Most of it was on account of charges in mandis and transport and other items that I have stated separately earlier. Subsidy in the case of wheat is around Rs. 30 per quintal. For this year, it might be slightly above Rs. 30. For the rice also, Government is meeting a subsidy of about Rs. 26 per quintal. But that is in spite of what the hon. Member says and accepts, that the contract labour is cheaper. If all labour is departmentalised, irrespective of the fact whether there is work for them or not, at particular stations throughout the year, then, certainly, the cost would go upto a much higher level than at present. This is all I have to say in reply to the hon. Member's questions.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Complaints have come from various States that foodgrains supplied have been found to be unfit for human consumption. Such complaints have come even in regard to the foodgrains supplied under the food-for-work programme.

RAO BIRENDRA SINGH: So far as I know, no foodgrains unfit for human consumption have been issued....

SHRI NARENDRA SINGH: It has been issued.

RAO BIRENDRA SINGH:...under the food-for-work programme. If there have been any complaints, they may not have been of a serious nature and they have not come to me. They have not been brought to my notice. But if there is any specific complaint, from anywhere, and the hon. Members bring such complaints to my notice, I will certainly look into such complaints because, the Government's orders are very strict, that no food-grain which is not fit for human consumption and which has not been analysed and tested, should be used for the food-for-work programme, or, for that matter, for human consumption under any other programme.

SHRI NARENDRA SINGH: In Fatehpur and Kanpur districts, the labour refused to take it.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Sir, my knowledge of the functioning of the Food Corporation of India is very limited. Although it is limited, I can say that my contact with them is in a very important place, namely, at Madras Harbour. The Food Corporation of India has become a very huge organisation. its functions have become multi-farious Procurement, import, storage, distribution and so many other functions have been thrust on the Food Corporation of India. The losses will be much more, but for the insurance

facilities and the ingenuity of some of the officials in making up or suppressing the loss. Even now, I would ask the hon. Minister. If he has not visited Madras, let him visit some of the godowns and also the open areas where these stocks are held. He will find that tonnes of wheat are stinking, exposed to sun and rain and are lying in the open. Barrels of oil are leaking and making the entire Port unusable. I am not exaggerating things. Let him come and see there, or, let him call for the report. This is how the Food Corporation of India is functioning. Even Members from the ruling party, who spoke, have made these sort of criticisms. What has amazed me is that the hon. Minister does not show the concern which he should show. He thinks that everything is okay in the Food Corporation of India and it does not require any improvement or streamlining.

RAO BIRENDRA SINGH: I have not said that.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: This seems to be the attitude. You are defending everything.

Now, I would like to say something about contract labour. He is justifying it on the plea that the contract labour is cheaper. Of course, in our country, the only commodity which is becoming cheaper every day is man. While the prices of all other commodities are rising, the only commodity which is cheaper is man. He cannot justify on that ground. The contract labour system is responsible for most of the pilferage, thefts and so on. Because of this, your cost of handling, transport and distribution is high. If you eliminate contract labour and regularise your employees and bring them under departmental control, the functioning, can be toned up. Kindly shed your prejudices towards the departmental labour. Because of high prices everywhere, the workers are agitating for more wages, bonus and so on. Bonus is a deferred wage.

Some of the Ministers themselves have agreed that bonus is a deferred wage, whether you incur loss or earn profits, bonus will have to be paid and the worker is justified in his demand. I would support the demands of the workers on bonus, including contract labour. Since the Food Corporation of India is the principal employer, they should take up the responsibility of paying bonus to all contract labour, if the spirit of the Contract Labour Act is to be properly implemented. I do not want to take the time of the House. Calling Attention motion is not the method by which such a formidable problem can be dealt with. I want to ask one question. Is there any system of physical verification of stocks from the point of procurement to the point of distribution, from the point of import to the point of storage? There is no such system. Internal stock verification is all right, but physical stock verification should also be there. Anything can be done and manipulated. For want of time I do not want to go into the details. Sir, the problem is so formidable that it cannot be tackled in this way by a debate. It has to perform a vital function to the nation, especially to the agriculture. When such an institution comes up for such a severe criticism so that it may be a concern of all of us, may I suggest, as some hon. Members have suggested, that a Parliament Committee may be appointed? Hon. Minister said that the Public Undertakings Committee is quite sufficient. The Public Undertakings Committee has to exercise parliamentary control on the various public undertakings. This is too big a problem and, therefore, a high-powered committee, in which Parliament Members may also be there, should be constituted to enquire into the functioning of the FCI in all its aspects, and streamline it. If decentralisation is necessary, if bifurcation is necessary, that should also be considered. Why should so many functions be undertaken by FCI? So, my suggestion is that a high-powered committee should be set up to go into the functioning of the FCI, examine

the causes of the huge losses, pilferage, etc., and also suggest methods by which the FCI can be streamlined.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, I cannot agree with the general statement of the hon. Member that the contract labour is mainly responsible for pilferage in the....

SHRI M. KALYANASUNDARAM: I did not say contract labour, I said, contractors. Please correct yourself. I said, the contractor system as such.

RAO BIRENDRA SINGH: The system itself cannot be responsible for pilferage. And that means the people employed under the contract system..

SHRI M. KALYANASUNDARAM: No, I said, the contractors.

SHRI RAMANAND YADAV: The contractors and the officers.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: The contractors and the officers are in collusion. Let him not put words which I did not say in my statement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have clarified that. Let him also say.

RAO BIRENDRA SINGH: There is physical verification of stocks also carried out. The FCI has a system of carrying out sample checks in godowns but I am not in a position to say whether huge stocks in large godowns can be physically verified easily and frequently. There are practical difficulties in the way, but as far as possible, the FCI under a system devised....

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Excuse me. Will you send a team to visit some of the important godowns, verify stocks and see its quality also—surprise checks?

RAO BIRENDRA SINGH: I will take up the suggestion and if you can point out to me secretly, sometime as to the godowns which should be phy-

[Rao Birendra Singh.]

sically checked, I will certainly arrange for that. That will be a help to the Government. We certainly want to see that things improve. I do not say that they are perfect. I never said it, but we are trying to improve it. I do not think it will require a Parliamentary Committee to make a probe into it. After all, I am also a Member of Parliament and I am looking after all these things. Why don't you have faith in me? Point out these things to me. I can find more time than the hon. Members.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: You have got so many jobs to do.

RAO BIRENDRA SINGH: I am a wholetime worker. Let me look into all the complaints. I look at them from a parliamentarian's, from a M.P.'s point of view, from a public-man's point of view. If we burden all these public undertakings with various forms of committees and Parliamentary Committees to go into all their working, I am afraid that might interfere with other important duties of the hon. Members of Parliament.

So, all these things are being looked into and as and when necessary committees have been appointed. The Members of Parliament also are associated with the various committees appointed for the purpose. If need be, we will certainly get further help from the hon. Members of Parliament who are interested in this thing, who are knowledgeable and who can give us further information.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chakraborty. Have you still got any questions to ask?

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY (West Bengal): I have much less to say. But I am surprised to see that the Minister is bent upon having an air of complacency about the working of the Food Corporation of India.

RAO BIRENDRA SINGH: What can I do, except to suggest winding it up?

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: No, not winding up. Complacency means he is rather more complacent that the Food Corporation of India is working better than others, though there are wrongs, there is corruption, there is mismanagement, as the Calling Attention says. That means he accepts the theory that one wrong can also justify another wrong. But I am sure he is also aware of the saying that all that glitters is not gold.

Mr. Ramanand Yadav and all others on this side and that side have determinedly spoken about what the working of this Corporation is. Especially, I am amused to hear the Minister justifying the continuance of the contract labour on the basis that it is cheaper.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That point has been thrashed out by so many hon. Members.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Sir, the Act is clear. In the preamble, which he has read out, it is said "Abolition and Regulation". On that his theory is that the contract labour is cheaper. So I must point out that it means that we accept exploitation of human labour. But my specific point is whether the Government has taken, or is inclined to take the view that contract labour should be abolished.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has clarified that position.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: He has not clarified. He says that the State Governments...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has been clarified. Please ask another question.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: I want to inform him that

the Labour Conferences and the Central Government have repeatedly said that...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has been clarified. You ask your next question.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Sir, if I cannot conclude, then what is the use of saying all this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: I am concluding. But I must say that the Government has already accepted the policy that it should be an ideal employer. On the basis of that and on the basis of the different judgements of the Supreme Court and the High Courts, I would like to know whether the Government will review or re-think for the abolition of the contract labour system, because it is against the policy of the Government itself, which has been expressed in the two Labour Conferences. This is the main point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made your point.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Regarding corruption, something has been hinted. I want to ask one thing: whether the Minister is willing to engage some vigilance squad or some sort of a task force to see the conditions in godowns. I know some godowns—I do not want to disclose their names—which have bags on which it is written "Unfit for human consumption". But those articles after re-inspection become good and are supplied, though the Minister says that he has not received any complaint. Mr. Yadav and everybody else knows about it and we have hammered on this point. The rice that is supplied to some ration shops in Bengal by the FCI is unfit for human consumption. We hope some sort of vigilance squad or task force, will be em-

ployed for looking into this to rectify the situation.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, there is not much to say. I have already explained some of the points. The hon. Member has again pointed out that some foodgrains are issued even though they are not fit for human consumption. I have stated that strict orders of the Government have been issued in this behalf. If things like that come to their notice, they are not fit for human consumption. It is against our policy or orders. It is criminal to issue any foodgrains for human consumption if they are not fit for human consumption and the people responsible for it will be prosecuted if it is reported to us. Now this question of labour contract has been...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has been replied to.

RAO BIRENDRA SINGH: I think the hon. Member comes from West Bengal. Am I correct? I am informed that the West Bengal Government's representative, even the Minister from West Bengal, has openly been saying that it is better to employ contract labour and not departmental labour in many things. That is a fact. Now here you talk about the labour, against contract labour. Your own Government in West Bengal is in favour of keeping contract labour.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: It is wrong even if they say that. We want to know about your attitude.

RAO BIRENDRA SINGH: They are the champions of contract labour. Over 10,000 workers have been departmentalised, more than 2,000 workers are being paid directly by the FCI. As soon as it is possible, we shall try to see that more and more workers are departmentalised. We are not necessarily for contract labour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we go on to the Special Mention. Mr. Chakraborty.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, let him take a little rest.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I hope he will finish soon.

REFERENCE TO THE ALLEGED ATTEMPT TO SACK SOME GOVERNORS

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY (West Bengal): This is regarding some very serious matter. I raise it because I was also a victim once of such a thing. This is regarding attempt to dismiss some Governors. There is one incident in the history of the world, excepting Nigeria, when a Ministry was dismissed by the Governor Dharam Vira in 1967. I was one of the victims. Now the special significance of this mention is that it is reported in the Indian Express that 10 Governors appointed by the previous Government are facing a sack. It is a very serious thing. Under article 156(1) the Governor holds office during the pleasure of the President. But 'pleasure' cannot be exercised arbitrarily or whimsically. This is the principle laid down. I am reading the contents on which the question is based.

"The Centre has armed itself with the legal opinion that the State Governors hold their office 'during the pleasure of the President' and can, therefore, be removed even before finishing their tenure of five years.

Since the assumption of power by the Congress(I), it has been considering how to remove the ten Governors appointed during the Janata Party rule. They are: Mr. Sadiq Ali (Maharashtra); Mr. Bhagwat Dayal Sharma (MP); Mr. G. D. Tapase (Haryana); Mr. K. C. Abraham (Andhra Pradesh); Mr. Raghukul Tilak (Rajasthan); Mrs. Jyoti Venkatachalam (Kerala); Mr. Prabhudas Patwari (Tamil

Nadu); Mr. Govind Narain (Karnataka); Mr. T. N. Singh (West Bengal) and Mrs. Sharda Mukherjee (Gujarat)."

Now, article 156(1) of the Constitution says that "the Governor shall hold office during the pleasure of the President". Here I may mention that I was one of the victims myself. I was a Minister in 1967 and you will be surprised to learn that we were dismissed by the Governor. Probably it is the only instance in the world except in Nigeria. That is why I am drawing the attention of the House to this matter. Then it is reported.

"Official quarters confirmed that they had checked with legal authorities and had found that the Governors could continue only on the President's 'pleasure'.

Soon after the new Government was formed, Mr. Zail Singh, Home Minister, hinted to some Governors to quit on their own because they were the nominees of the Janata regime. However, there was no response from the Governors.

However, the Governors, if removed, may challenge the order in a court of law. The President's 'pleasure', it is pointed out, does not mean arbitrariness; there has to be some basis for a change, not just a whim."

So, this in brief, is what I wanted to mention. I draw the attention of the Government to this. The Government should not create such a precedent that whimsically, arbitrarily, they remove Governors. Once they did it in the past in removing the Government in West Bengal. This is what I wanted to mention.

REFERENCE TO THE EVACUEES FROM MIKIR HILLS, ASSAM

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Sir, 4,000 evacuees from Mikir Hills in Assam have already arrived in West Bengal and thousands have already been ser-